मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462003

क्रमांक एफ 1-4/2013/बीस-1 भोपाल, दिनांक 8/3/13

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
3. समस्त आयुक्त नगर निगम,
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
6. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषयः–संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1, 2 एवं 3 के नियुक्ति में आयु–सीमा के संबंध में।
संदर्भ–विभाग का आदेश क्र. एफ 01–04/2013/20–1 दिनांक 28.02.2013

–0–

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.02.2013 द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1, 2 एवं 3 की नियुक्ति में आयु–सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। इस आदेश को अधिक्रमित करते हुये संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1, 2 एवं 3 के नियुक्ति हेतु म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3–11/12/1/3, भोपाल दिनांक 03 नवम्बर 2012 के अनुसार अधिकतम आयु–सीमा की गणना की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

08/03/13

(एल.एल.राजौरिया)
अवर सचिव
म.प्र. शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 1-4/2013/20–1 भोपाल, दिनांक 8/3/13

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मा0 स्कूल शिक्षा मंत्री, म0प्र0 शासन।
2. निज सचिव, मा0 राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा, म0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, म0प्र0 शासन।
6. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म0प्र0।
7. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म0प्र0।

8. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग।
9. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल, म0प्र0।
10. सचांलक, म.प्र.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल।
11. संयुक्त संचालक (विधि प्रकोष्ट) लोक शिक्षण इंदौर/जबलपुर एवं ग्वालियर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि यदि इस संबंध में कोई न्यायालयीन प्रकरण उद्‌भूत होता है तो माननीय न्यायालय के समक्ष इस स्थिति को रखा जाए।
12. सी.ओ.ओ. एम.पी. ऑनलाईन, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड़, भोपाल (मध्यप्रदेश)

08/03/13

अवर सचिव
म.प्र. शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक सी 3–11/12/1/3, भोपाल, दिनांक 03 नवम्बर, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश

विषयः–राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा का निर्धारण।

संदर्भः–1. सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. सी/3–5/2001/3/1, दिनांक 17.08.2004
2. सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. सी/3–5/2001/3/1, दिनांक 05.10.2004
3. सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. एफ सी 3–12/2010/3/1, दिनांक 04.06.2010
4. सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. एफ सी 3–10/2012/3/1, दिनांक 30.08.2012

---0---

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न प्रवर्गों, शासकीय सेवकों, निगम, मण्डल, आयोग, स्वायत्त संस्थाएं तथा नगर सैनिकों एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु–सीमा के निर्देश समय–समय पर जारी किये गये हैं।

2/ राज्य शासन द्वारा बेरोजगारों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा 35 वर्ष को बढ़ाकर स्थायी रूप से 40 वर्ष निर्धारित की जाए। इस वृद्धि के फलस्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवकों, निगम, मण्डल, आयोग, स्वायत्त संस्थाएं तथा नगर सैनिकों एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष होगी।

3/ उक्त अधिकतम आयु–सीमा में की गई वृद्धि गृह (पुलिस), वन, आबकारी एवं जेल विभाग के कार्यपालिक पदों पर लागू नहीं होगी। इन विभागों के कार्यपालिक पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा उनके भरती नियमों के प्रावधान के अनुसार ही लागू होगी। अर्थात् इन पदों पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु–सीमा 40 वर्ष का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

4/ उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवाओं में सीधी भरती से नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :–

1.	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	पुरूष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	40 वर्ष
3.	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4.	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष

5/ सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6/ उक्त अधिकतम आयु–सीमा निर्धारण के फलस्वरूप संदर्भित परिपत्र दिनांक 17.08.2004 एवं 05.10.2004 एतद् द्वारा निरस्त किये जाते है।

7/ उक्त अधिकतम आयु–सीमा परिपत्र जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

बेटी है तो कल है

पृष्ठां क्रमांक सी 3–11/12/1/3, भोपाल, दिनांक 03 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

बेटी है तो कल है